न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 122/2026

ऋषि सुल्तानिया पता फ्लेट नम्बर 002, ए विंग, बिल्डिंग 55 राधिका सीएचएस लिमिटेड गोकुलधाम, गोरेगांव वेस्ट पिनकोड 400063 मोबाईल नम्बर 7023951335

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 08.04.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 16.03.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 122/2026 पर दिनांक 16.03.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2026/749–750 दिनांक 17.03.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू ने पत्रांक एफ.16(4)(5)न्याय/सू.अ./2026/460 दिनांक 06.04.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया अपीलार्थी का ऑनलाईन आवेदन दिनांक 11.02.2026 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ16(4)(5)न्याय/सू.अ./2026/126 दिनांक 12.03.2026 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में चाही गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (ञ) के अन्तर्गत व्यक्तिगत सूचना एवं लोकहित सिद्व नहीं होने के कारण देय नहीं है, के संबंध में अपीलार्थी का सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का ऑनलाईन आवेदन दिनांक 11.02.2026 को उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में उनके कार्यालय के पत्र कमांक एफ16(4)(5)न्याय/सू.अ./2026/126 दिनांक 12.03.2026 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में चाही गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (ञ) के अन्तर्गत व्यक्तिगत सूचना एवं लोकहित सिद्व नहीं होने के कारण देय नहीं है, के संबंध में अपीलार्थी का सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 08.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनू